

The Pharmacy (Amendment) Bill, 2023 ? introduced

माननीय सभापति: आइटम नंबर 20.

डॉ. भारती प्रवीण पवार जी ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. BHARATI PRAVIN PAWAR): Hon. Chairperson, Sir, on behalf of my senior colleague, Dr. Mansukh Mandaviya ji, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Pharmacy Act, 1948.

माननीय सभापति:

?कि भेषजी अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

DR. BHARATI PRAVIN PAWAR: Sir, I introduce** the Bill.

14.19 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने विषयों के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।